



उपरोक्त वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित  
नहीं बताया है जबकि वे इस प्रकार के  
आंतरिक प्रस्ताव हैं, जोर इसके अभाव  
पर ही प्रस्ताव में सुधारण पर निर्णय  
पारित किया जा सकेगा।

वस्तु उपरोक्त सुनी उपाय तथा  
पत्रवली का अवलोकन किया गया।

संबंध प्रकरण में प्रथम दृष्टया  
भारत, अर्थात् का अंतर्गत अदालत  
में NDA के नाम होने से इसके  
संदर्भ में होना पत्रा जाता है।

चूंकि प्रार्थना (करीना) ने कुछ  
प्रार्थना पत्र के साथ-साथ अर्थात् निवेदन  
का वाद भी प्रस्तुत कर दिया है और वह  
उक्त वाद अर्थात् के अभाव पर प्रार्थना  
के पत्र में धारित होने की न्यायाधीश  
समझना समझा है जो उक्त परिधि  
में प्रार्थना की प्रार्थना पत्र पर न्यायाधीश  
निर्णय किया जा सकेगा।

दियाजा उपरोक्त परिधि में  
संबंध प्रकरण में अर्थात् निवेदन  
किया जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं  
है। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र 1/5  
212 R.T.A. के अन्तर्गत किया जाता है।

आदेश आज ही 11-5-2017 को  
समुकाम नाम के अंतर्गत डाकघर  
आम किया गया। पत्रावली के तहत  
सुधार अंतर्गत मंत्र ले काम लेकर  
सुधार पत्रवली के अंतर्गत ही



11/5/17  
जोधपुर